छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-05

रायपुर, सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04,

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री तोखन लाल साहू, केन्द्रीय राज्य मंत्री, उपस्थित हैं । सदन उनका स्वागत करता है।

3. प्रश्नकाल (क्रमश:)

05, 06,

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों, पत्रकारों एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिये विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

5. प्रश्नकाल (क्रमश:)

07, 08, 09, (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(सदन की कार्यवाही 12.00 बजे, स्थगित की जाकर 12.30 बजे, समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

6. वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के उपस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक सभा के भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

7. वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हेतु तिथि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 04 एवं 05 मार्च, 2025 की तिथियां आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि- आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025 को अपराह्न 12.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अपराह्न 2.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025 (फाल्गुन-13, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा